

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 38/2026

(Bank Case)

GCMS No. 2026/65

आईसीआईसीआई होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय:-  
आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई, महाराष्ट्रा-400051 में स्थित  
एवं कार्यरत है एवं जिसका रीजनल कार्यालय- भू-तल, एस-32, जे.डी.ए. मार्केट,  
गोपालपुरा, मानसरोवर लिंक रोड, रिट्टी-सिद्धी स्वीट्स के पास, जयपुर,  
राजस्थान-302018 में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय- प्लॉट  
नम्बर 1, प्रथम-तल, सहयोग भवन, एरोड्राम सर्किल, कोटा, राजस्थान-324007 में स्थित  
व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री अनुज रावल।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. Mr. Abid Khan

( Borrower)

Address1: Plot no. 79, Transport nagar, Gobriya Bawadi in front of  
Paradise Bar, kota (Raj.)- 324005

Address2: A-2, kesar Bag Police Line, Ward no. 39, Kota (Raj.)-324001

2. Saida Khan

( Co-Borrower & Mortgagor)

Address1: kesar Bag, Rampura, Kota (Raj.)-324001

Address2: A-2, kesar Bag Police Line, Ward no. 39, Kota (Raj.)-324001

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

## उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 18.03.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आईसीआईसीआई होम  
फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय:- आईसीआईसीआई बैंक टॉवर,  
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई, महाराष्ट्रा-400051 में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका  
रीजनल कार्यालय- भू-तल, एस-32, जे.डी.ए. मार्केट, गोपालपुरा, मानसरोवर लिंक  
रोड, रिट्टी-सिद्धी स्वीट्स के पास, जयपुर, राजस्थान-302018 में स्थित एवं कार्यरत  
है में स्थित एवं कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय- प्लॉट नम्बर 1, प्रथम-तल,  
सहयोग भवन, एरोड्राम सर्किल, कोटा, राजस्थान-324007 में स्थित व कार्यरत है।  
अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 22.01.2021 को खाता संख्या  
LHKOT00001358320 में रूपये 19,50,000/- रूपये (अक्षरे: उन्नीस लाख पचास हजार  
रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान  
हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे श्रीमती सईदा बेगम पत्नी श्री अहमद खान की एक आवासीय  
सम्पत्ति भू-खण्ड संख्या 3-ए, केसर बाग रामपुरा, जिला- कोटा (राज0) 326530 में  
स्थित है, जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है।  
जिसका कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज है। जिसकी चर्तु:सीमाए पुरब में- प्लॉट नं0  
4-ए, पश्चिम में- प्लॉट नं0 2-ए, उत्तर में- रास्ता, दक्षिण में- प्लॉट नं0 19-ए, को  
प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से  
प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व  
डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.10.2025  
को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 18,65,977.50/- (अक्षरे  
अठारह लाख, पेशठ हजार नौ सौ सतहत्तर रूपये एवं पचास पैसे मात्र) बकाया रकम  
दिनांक 08.10.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च

पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 24.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 24.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 24.10.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्रीमती सईदा बेगम पत्नी श्री अहमद खान की एक आवासीय सम्पत्ति भू-खण्ड संख्या 3-ए, केसर बाग रामपुरा, जिला- कोटा (राज0) 326530 में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज है। जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में- प्लॉट नं0 4-ए, पश्चिम में- प्लॉट नं0 2-ए, उत्तर में- रास्ता, दक्षिण में- प्लॉट नं0 19-ए, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हसब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।

आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज0)